

08
24/22

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं
वादी वकील अनुपस्थित। - थापालय
में बाल-बाल आवक लगाने के
बावजूद ताप 5.00 बजे तक वादी
एवं वादी वकील किसी कोई उपस्थित
नहीं हुआ। भूलवास अदत हाजरी एवं
अदत पेशी में खरिफ हो चुका है।
भूलवास का निस्तारण हो जाने से
क्रा. पत्र 212RT Act का कोई अर्थ
नहीं रहता है।

अतः क्रा. पत्र 212RT Act
की कार्यवाही रूफ की जाती है।
पत्रावली नैतल शुभाह हो कर रफिल्टर
से कर की जावे। नैतल भूलवास
है।

5/10